न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 07/2019

अपीलार्थीगण– *बनाम* **उत्तरदाता–**

1. धोधा पुत्र तलीफ
2. हुसैन पुत्र लतीफ
3. ईसाक पुत्र लतीफ

जाति मुसलमान निवासी धनोड़ा
तहसील व जिला बाड़मेर

तहसीलदार बाड़मेर
जिला बाड़मेर

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 24.09.2018 जो प्रकरण सं. 11/2018 मे तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री छैलसिंह राठौड़, अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. सरकारी पैरोकार, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 18/02/2020

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रकरण सं. 11/2018 सरकार बनाम धोधा व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 24.09.2018 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि पटवारी हल्का भादरेश द्वारा तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा धनोड़ा के खसरा नम्बर 120 रकबा 19–13 बीघा किस्म गैर मुमकीन रास्ता सरकारी भूमि मे से 00–05 बीघा पर गैर सायलान धोधा, हुसैन, ईसाक पि. लतीफ कौम फकीर द्वारा बाड़ा बनाकर कर अतिक्रमण कर लिया है जो अवैध है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें। हल्का पटवारी

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार प्रथम बाड़मेर द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायलान को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। गैर सायल ने दौरान सुनवाई उपस्थित होकर अतिक्रमण करना स्वीकार किया। इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा गैर सायलान को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 24.09.2018 के द्वारा 18/– रूपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 22.01.2019 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण मे विषय वस्तु के सम्बन्ध मे कोई साक्ष्य सबूत व दस्तावेज अभिलेख पर नही लिये गये तथा केवल मुद्रित प्रफोर्मा के आधार पर निर्णय में कॉलम की पूर्ति कर प्रकरण का निस्तारण कर दिया। निर्णय मे कांट–छांट की गई है एवं न्यायालय का नाम नायब तहसीलदार प्रथम बाड़मेर अंकित किया गया हैं जबकि हस्ताक्षर तहसीलदार की मोहर द्वारा पारित किये गये हैं जिससे अपीलाधीन निर्णय संशयप्रद है।

5. अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि मौजा धनोड़ा के खसरा नम्बर 120 गैर मुमकीन रास्ता की भूमि पर राजस्व गांव धनोड़ा वक्त सैटलमेंट से पूर्व से ही बसा हुआ हैं जिसमें करीब 80 घरों की आबादी हैं। ग्रामवासियों द्वारा कच्चे–पक्के रहवासी मकान आदि वक्त सैटलमेंट से

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

बने हुए हैं तथा पीढ़ियों से उस पर निवास चला आ रहा हैं। वक्त सैटलमेंट बन्दोबस्त अधिकारियों की भूल से उक्त खसरा आबादी में दर्ज न होकर गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज कर दिया गया। इस सम्बन्ध में पूर्व में हुई शिकायत पर राजस्व अधिकारियों द्वारा मौके पर आकर जांच की गई थी जिसमें पाया गया हैं कि मौके पर रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण नहीं है तथा केवल आबादी बसी हुई हैं। उक्त भूमि ग्राम पंचायत द्वारा गांव मे आबादी विस्तार किये जाने के लिये प्रस्ताव दिया गया हैं जो सक्षम स्तर पर प्रस्तावित है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर किये बिना राजनैतिक दबाव मे आकर अपीलांट को आर्थिक रूप से हानि पहुंचान के आशय से उक्त अपीलाधीन आदेश बेदखली का पारित किया है जो अपास्त व निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय को अपास्त किये जाने का आदेश फरमावें।

6. रेस्पोडेंट की ओर से जवाब मे पैरोकार सरकार ने प्रकट किया है कि अपीलांट के विरूद्ध हल्का पटवारी की ओर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा धनोड़ा के खसरा नम्बर 120 रकबा 19–13 बीघा किस्म गैर मुमकीन रास्ता भूमि मे से 00–05 बीघा पर अवैध कब्जा कर अतिक्रमण किया है, इस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही संस्थित कर अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। दौरान सुनवाई स्वंय अपीलांट द्वारा उपस्थित होकर अतिक्रमण करना स्वीकार किया तथा अपनी उपस्थिति के हस्ताक्षर अंकित किये है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि पर स्वंय कब्जा कर अतिक्रमण करना स्वीकार किया है तथा इस पर अपीलांट पर जुर्माना अधिरोपित करते हुए सरकारी भूमि से बेदखल करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि अनुकूल एवं उचित है, लिहाजा अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाए।

7. हमने दोनो पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने इस अपील के द्वारा अपने कब्जा व

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अधिपत्य को ग्राम पंचायत के द्वारा गांव धनोड़ा की आबादी विस्तार के लिये गैर मुमकीन भूमि रास्ता को गैर मुमकीन आबादी मे संपरिवर्तन किये जाने के प्रस्ताव सरकारी स्तर पर प्रस्तावित होना प्रकट किया है, किन्तु इस संबंध में कार्यालय हाजा की संबंधित पत्रावली तलब कर अवलोकन करने पर पाया गया कि आबादी हेतु प्रस्तावित भूमि गैर मुमकीन रास्ता प्रतिबन्धित श्रेणी की होने से प्रस्ताव खारिज किया जा चुका है। इसके अलावा जहां तक अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उसे नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का प्रश्न है तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई दिनांक 24.09.2018 को अपीलांट सं. 2 व 3 स्वंय उपस्थित हुए है तथा आदेशिका पर उसकी उपस्थिति के हस्ताक्षर अंकित है। जब स्वंय अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर सरकारी भूमि पर अतिक्रण किया जाना स्वीकार किया है तो फिर अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता ही प्रतीत नही होती है, क्योंकि विधि यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि स्वीकारोक्ति स्वंय सर्वोत्तम साक्ष्य है। इसके अलावा अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश मे कांट--छांट एवं मोहर का गलत अंकन लिपिकीय भूल होना स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। इसके बावजूद भी यह लिपिकीय त्रुटि अपीलाधीन निर्णय के प्रकृति के प्रति इतनी सारभूत नही है। अपीलांट द्वारा न तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं न ही इस न्यायालय के समक्ष विवादित सरकारी भूमि पर अपने स्वामित्व अथवा आधिपत्य हक अधिकार के बाबत कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है, ऐसे मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का जो निर्णय पारित किया गया है, उसमे हमारे मत से किसी प्रकार कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नही की गई है। फलस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील सारहीन व आधारहीन

जिला कलक्टर
बाड़मेर

तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.09.2018 यथावत बहाल रखा जाकर पुष्ट जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाकर तहसीलदार बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन निर्णय के अनुक्रम मे नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न करावें।

आदेश आज दिनांक 18.02.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर 9. सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)